आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों के लिये उपलब्ध करायी जाने वाली राशि

1487. **श्री कपिल वर्मा :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखित में यह बता दिया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी और यदि हां तो, इसके क्या कारण है और इस नीती का कालेजों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कालेजों की संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक कालेज को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है; और

(ग) क्या आयोग ने कालेजों को छात्रों से अधिक फीस वसूल करने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) सरकार ने 1992-93 के सरकारी बजट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु किए गए योजनेत्तर व योजनागत प्रावधानों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित किया है । आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है अतः आठवीं योजना आवंटन के विषय में अभी कुछ नहीं पता ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग दिल्ली के 69 कालेजों में से 55 कालेजों को रख-रखाव अनुदान (योजनेत्तर) प्रदान करता है । विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे 19 संध्याकालीन कालेजों को 100 प्रतिशत रख-रखाव अनुदान तथा 36 निजी कालेजों को 95 प्रतिशत रख-रखाव अनुदान प्रदान किया जाता है । इन कालेजों को योजनागत अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशिष्ट योजनाओं के अधीन दिया जाता है ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग के दिल्ली कालेजों को शुल्क बढ़ाने के लिए कोई निर्देश या परामर्श नहीं दिया है । परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास 91-92 में शेष योजनेत्तर अनुदान को देखते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व दिल्ली कालेजों को सलाह दी गई है कि 91-92 के लिए उन्हें रख-रखाव अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देगा । कालेजों के प्रधानाध्यापकों के साथ विचार विमर्श किया जा चुका है तथा कालेजों के प्रतिनिधियों ने कालेजों के योजनेतर व्यय में किफायत करने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया है ।

Government Girls School, Madangir

1488. SHRIMATI KAILASHPATI : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to answers to Unstarred Questions 2615, 2617 and 2619 given in the Rajya Sabha on the 13th March, 1992 and state :

(a) whether Governent propose to initiate a CBI inquiry to find out that the Drawing and Disbursing Officer and Ministerial Stalf with the connivance of the concerned Deputy Director of Education and other interested persons, has been committing mischief in disbursing monthly pay, arrears of dues and clearance of EB cases in Government Girls Middle School Madangir, New Delhi as is evident from the Bank Records; and

(b) whether it is a fact that the Government Girls Middle School Madangir, New Delhi was detached from the Government Girls Secondary School No. 2 Madangir so that legal proceedings pending in Delhi High Court against the then joint Director of Education and four others may be withdrawn by using Coercive methods against the litigating teachers?